



**कार्यालय मुख्य आयुक्त**  
Office of the Chief Commissioner  
**सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क(जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर**  
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/12/2025-ADMN

**स्थापना आदेश सं.: 19/2025**

सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन द्वारा फा.सं.II-31(03)CCU/JZ/2025 दिनांक 24.04.2025 के अंतर्गत जारी ज्ञापनों की अनुपालना में हवलदार के पद पर अनंतिम आधार पर अधिकारियों की नव नियुक्ति के फलस्वरूप, हवलदार श्रेणी में निम्नानुसार आवंटन/पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से और अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं :-

Sl. No.	Name of the Officer (Ms/Shri)	DOB	From	To
1.	Chanchal	24.07.2000	On joining	CGST, Alwar
2.	Ashish	10.03.1999	On joining	CGST, Alwar
3.	Vikas Bidiyasar	04.01.2003	On joining	CGST, Jodhpur
4.	Ramsingh Yadav	20.08.2005	On joining	CGST, Jaipur
5.	Mahipal Singh Kuri	01.08.1998	On joining	Customs
6.	Tejpal	10.12.1994	On joining	CGST Udaipur
7.	Siddhartha Mandal	27.03.1995	On joining	CGST, Jodhpur

2. उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 16.05.2025 (अपरान्ह) में कार्यमुक्त कर निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए आयुक्तालय में कार्यग्रहण करें।

3. चूँकि यह आवंटन नवनियुक्ति पर किए जा रहे हैं, अतः उपरोक्त अधिकारियों को कोई स्थानान्तरण भत्ता एवं कार्यग्रहण अवधि देय नहीं होगी।

यह आदेश मुख्य आयुक्त सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर परिक्षेत्र की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

**(निष्ठा शर्मा)**  
संयुक्त आयुक्त

**प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -**

1. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर/ अलवर/ जोधपुर/ उदयपुर, सीमा शुल्क(निवारक), जोधपुर।
2. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
3. सम्बंधित अधिकारी।
4. गार्डफ़ाइल/ नोटिस बोर्ड
5. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।